न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 05/2021

प्रार्थी

सरकार जरिए थानाधिकारी पालडी एम जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री सुखवंतसिंह उर्फ सोनू पुत्र श्री परमजीतसिंह जाति जट सिख निवासी कालवा पुलिस थाना डेरा सायद जिला तरणतार पंजाब हाल हिन्दुस्तान शेरे पंजाब होटल सरहद पालडीएम पुलिस थाना पालडी एम जिला सिरोही।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही
2. अप्रार्थी स्वयं अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 29.12.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 01.09.2020 को शेरे पंजाब होटल सरहद पालडी एम के होटल परिसर में कुल 160 लीटर डीजल व 105 लीटर पेट्रोल भरा हुआ पाया गया। बिना परमिट एवं उचित कारण के डीजल एवं पेट्रोल कब्जे में रखना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध होने से डीजल एवं पेट्रोल को जरिये फर्द कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी के द्वारा किसी भी प्रकार की उपस्थिति नहीं दी गई। प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी गई।

सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम सिरोही की बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 01.09.2020 को शेरे पंजाब होटल सरहद पालडी एम के होटल संचालक श्री सुखवंतसिंह उर्फ सोनू पुत्र श्री परमजीतसिंह जाति जट सिख निवासी कालवा पुलिस थाना डेरा सायद जिला तरणतार पंजाब हाल हिन्दुस्तान शेरे पंजाब होटल सरहद पालडी एम जिला सिरोही द्वारा डीजल एवं पेट्रोल अवैध तरीके से बेचान/परिवहन करने के उद्देश्य से उनके कब्जे वाले होटल परि[illegible] डीजल एवं प्लास्टिक की तीन जरीकन, जिसमें प्रत्येक में 35–3[illegible]ल कुल 105 लीटर पेट्रोल भरा हुआ पाया गया था। इस प्रकार कुल 160 ली[illegible] पेट्रोल अवैध भरा हुआ पाया गया [illegible] अप्रार्थी से उक्त [illegible]ल एवं पेट्रोल से सम्बन्धित बिल व अनुज्ञा के बारे में पूछ[illegible] कुछ भी उपलब्ध नहीं हो[illegible]। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसंस के डीजल एवं [illegible] का अवैध भण्डारण कर[illegible] द्वारा उक्त डीजल एवं पेट्रोल को कब्जे सरकार लिया गया एवं न्यायालय द्वारा अंतरिम निस्तारण के आदेश नही हुए है। यह है कि कब्जे सरकार लिए गए कुल

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:56:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

160 लीटर अवैध डीजल जो वाद कन्ट्रोल सैम्पल व नमूना सैम्पल के शेष 156 लीटर डीजल एवं कुल 105 लीटर अवैध पेट्रोल जो वाद कन्ट्रोल सैम्पल व नमूना सैम्पल के शेष 99 लीटर पेट्रोल जरीकनों में बचा हुआ होने से उक्त डीजल एवं पेट्रोल का निस्तारण करना फरमावें। अतः डीजल एवं पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ है, जिसे लम्बे समय तक थाने में पड़े रहने से लीकेज एवं आग लगने की सम्भावना है। अतः उसे समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे ।

अप्रार्थी की ओर से बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की उपस्थिति नहीं दी। पूर्व में इनको कई अवसर प्रदान किए जा चुके है। अतः इनका जवाब देने का अवसर बन्द किया जाता हैं। अप्रार्थी बहस हेतु नियम तिथि पर भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दिनांक 01.09.2020 को शेरे पंजाब होटल सरहद पालडी एम के होटल संचालक श्री सुखवंतसिंह उर्फ सोनू पुत्र श्री परमजीतसिंह जाति जट सिख निवासी कालवा पुलिस थाना डेरा सायद जिला तरणतार पंजाब हाल हिन्दुस्तान शेरे पंजाब होटल सरहद पालडी एम जिला सिरोही द्वारा डीजल एवं पेट्रोल अवैध तरीके से बेचान/परिवहन करने के उद्देश्य से उनके कब्जे वाले होटल परिसर में स्थित कमरे में कुल 160 लीटर डीजल एवं प्लास्टिक की तीन जरीकन, जिसमें प्रत्येक में 35–35 लीटर पेट्रोल कुल 105 लीटर पेट्रोल भरा हुआ पाया गया था। इस प्रकार कुल 160 लीटर डीजल एवं 105 लीटर पेट्रोल अवैध भरा हुआ पाया गया एवं कब्जे सरकार लिए गए 160 लीटर अवैध डीजल जो वाद कन्ट्रोल सैम्पल व नमूना सैम्पल के शेष 156 लीटर डीजल एवं कुल 105 लीटर अवैध पेट्रोल जो वाद कन्ट्रोल सैम्पल व नमूना सैम्पल के शेष 99 लीटर पेट्रोल बचा हुआ था। अप्रार्थी से उक्त डीजल एवं पेट्रोल से सम्बन्धित बिल व अनुज्ञा के बारे में पूछा तो अप्रार्थी ने अपने पास कुछ भी उपलब्ध नहीं होना बताया। इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः बिना लाइसेंस के अवैध रूप से डीजल एवं पेट्रोल का भण्डारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध होने से धारा 6 ए. के तहत् प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये डीजल एवं पेट्रोल को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए डीजल एवं पेट्रोल का निस्तारण नियमानुसार उपभोक्ताओं को वितरण कर/नीलाम कर प्राप्त राशि राजकीय राजकोष जमा कराने की कार्यवाही करें एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2022.01.17 16:56:50 IST
Reason: SelfAttested

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner